(7)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प.13(1)प्र0सु0 / सम0 / अनु–1 / 2012 जयपुर, दिनांकः 13 जून, 2013

परिपत्र

नागरिकों को उनके निवास के नजदीक सुनवाई का अवसर प्रदान करने की भावना से राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत नागरिकों के आवेदन पत्र / परिवाद एक ही स्थान (खिड़की) पर प्राप्त करने की व्यवस्था के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक **09.04.2013** द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निर्मित **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों** पर दिनांक **20.04.2013** से लोक सुनवाई सहायता केन्द्र (LSSK) स्थापित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस आदेश के बिन्दू–5 में प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक त्रिस्तरीय सुनवाई व्यवस्था की गई है, इसमें एतद्द्वारा आंशिक संशोधन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत स्तरीय सुनवाई पंचायत कोरम एवं मिनी सचिवालय के दिन अर्थात प्रतिमाह 5, 12, 20 एवं 27 तारीख को होगी।

(सी.के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव / सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजकीय उपक्रम / निगम / बोर्ड / मंडल, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

13.6.13

(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज